BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No. 186 of 2026

Kapil and Ors. ... Applicants

Versus

State of U.P. and Ors. ... Respondents

INDEX

Sr. No.	Particulars	Pages
1.	Affidavit on behalf of the District Magistrate, Baghpat	
2.	Annexure A A true copy of the inspection Report	

[MUKESH VERMA]
Advocate for the District Magistrate, Bagpat
Ch. No. 50, Old Block
Supreme Court of India,
New Delhi 110 001 (M)
9810108098
E-mail:
mvermadv@gmail.com

New Delhi
Dated: 23.05.2026

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL PRINCIPAL

BENCH, NEW DELHI

Original Application No. 186 of 2026

Kapil and Ors. Applicants

Versus

State of U.P. and Ors. Respondents

RESPONSE AFFIDAVIT ON BEHALF OF THE DISTRICT MAGISTRATE BAGHPAT

I, Asmita Lal, aged about 37 years, District Magistrate, Baghpat, U.P. do hereby solemnly affirm and declare as under;

1. That the deponent is posted in above capacity as such She is fully conversant with the facts of the case as such is competent to swear this affidavit.

2. That I am filing the present affidavit in response of para No. 20 of the order dated 06.05.2026 passed by this Hon'ble Court.

   It is submitted the response on behalf of the deponent is submitted a inspection report which is annexed with the present affidavit and marked as Annexure A.

3. That the contents of the above affidavit are true and

NOTARY 23-05-26

NOTARY
Narendra Sharma Advocate
Adv-Baghpat
R.N.-364...
GOVT. OF INDIA

correct to the best of my knowledge and belief and no part of it is false and nothing material has been concealed therein.

Deponent

Verifiaiton:

Verified at Baghpat on this 23rd day of May, 2026, that the contents of the above affidavit are true and correct to the best of my knowledge and belief and no part of it is false and nothing material has been concealed therein.

Deponent

S.NO-232/2026

प्रमाणित किया जाता है कि Asmita Lal District Magistrate Baghpat U.P
निवासी ग्राम
जिसकी पहचान श्री Self
शपथ लेकर शपथ पत्र मे दिये गये तथ्यो
को स्वीकार किया। दिनांक 23-05-2026
समय 2:58 P.M. फीस 38

नरेन्द्र शर्मा एडवोकेट नोटरी बागपत
23-05-26

Original Application No. 186/2026 (IA No 319/2026, IA No 320/2026 & IA No 361/2026) Kapil & Ors. Applicants Versus State of Uttar Pradesh & Ors. Respondents

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 संख्या 186/2026 में पारित आदेश दिनांक 06.05.2026 के बिन्दु संख्या–20 के अनुपालन में जॉच आख्या निम्नवत हैः–

1. ग्राम नैथला खादर के गाटा संख्या 1/2 क्षेत्रफल 30.7646 एकड़ में दिनांक 06.02.2026 से 06 माह हेतु मै0 गौरव बिल्डर्स, प्रो0 श्री राजीव सिंह पुत्र श्री कालूराम निवासी बदरखा तहसील बडौत जिला बागपत के पक्ष में साधारण बालू के खनन एवं परिवहन हेतु खनन अनुज्ञा स्वीकृत है।
2. स्वीकृत क्षेत्र के जियो कॉर्डिनेट निम्नलिखित हैः–

क0सं0	पिलर सं0	अक्षांश	देशान्तर
1	A	$29^0$00'10.61"N	$77^0$11'49.29"E
2	B	$28^0$59'55.51"N	$77^0$11'54.23"E
3	C	$29^0$59'47.66"N	$77^0$12'04.38"E
4	D	$28^0$59'44.99"N	$77^0$11'57.54"E
5	E	$28^0$59'54.35"N	$77^0$11'48.63"E
6	F	$29^0$00'05.91"N	$77^0$11'45.14"E

3. मा0 एन0जी0टी0 में योजित ओ0ए0 संख्या 186/2026 में पारित आदेश दिनांक 06.05.2026 के कम में संलग्न वीडियों में अंकित जियो–कॉर्डिनेट की जॉच की गयी, जिसका विवरण निम्नवत् हैः–

वीडियों क्लिप संख्या	वीडियों क्लिप का दिनांक	वीडियों क्लिप में अंकित जियो कॉर्डिनेट		विवरण
		Lat	Long	
1	01-04-2026	29.004305^0	77.198553^0	वीडियों क्लिप में दिए गये geo-cordinates प्रतिवादी संख्या 9 के पक्ष में स्वीकृत अनुज्ञा क्षेत्र के गाटा संख्या 1/2 क्षेत्रफल 30.7646 के बाहर लगभग 213 मीटर की दूरी का है। किन्तु वीडियों में प्रदर्शित खनन कार्य प्रतिवादी संख्या 9 के पक्ष में स्वीकृत खनन क्षेत्र का है। अंकित जियो कॉर्डिनेट के आस–पास कोई अवैध खनन/परिवहन किया जाना नहीं पाया गया।
2	11-04-2026	28.997395^0	77.201929^0	वीडियों क्लिप में दिए गये geo-cordinates प्रतिवादी संख्या 9 के पक्ष में स्वीकृत अनुज्ञा क्षेत्र के गाटा संख्या 1/2 क्षेत्रफल 30.7646 के बाहर लगभग 117 मीटर की दूरी का है। किन्तु वीडियों में प्रदर्शित खनन कार्य प्रतिवादी संख्या 9 के पक्ष में स्वीकृत खनन क्षेत्र का है। अंकित जियो कॉर्डिनेट के आस–पास कोई अवैध खनन/परिवहन किया जाना नहीं पाया गया।
3	17-04-2026	29.002327^0	77.201402^0	वीडियों क्लिप में दिए गये geo-cordinates प्रतिवादी संख्या 9 के पक्ष में स्वीकृत अनुज्ञा क्षेत्र के गाटा संख्या 1/2 क्षेत्रफल 30.7646 के बाहर लगभग 399 मीटर की दूरी का है। किन्तु वीडियों में प्रदर्शित खनन कार्य प्रतिवादी संख्या 9 के पक्ष में स्वीकृत खनन क्षेत्र का है। अंकित जियो कॉर्डिनेट के आस–पास कोई अवैध खनन/परिवहन किया जाना नहीं पाया गया।

4	18-04-2026	29.002354⁰	77.201425⁰	वीडियों क्लिप में दिए गये geo-cordinates प्रतिवादी संख्या 9 के पक्ष में स्वीकृत अनुज्ञा क्षेत्र के गाटा संख्या 1/2 क्षेत्रफल 30.7646 के बाहर लगभग 399 मीटर की दूरी का है। किन्तु वीडियों में प्रदर्शित खनन कार्य प्रतिवादी संख्या 9 के पक्ष में स्वीकृत खनन क्षेत्र का है। अंकित जियो कॉर्डिनेट के आस-पास कोई अवैध खनन/परिवहन किया जाना नहीं पाया गया।
5	24-03-2026	28.997387⁰	77.201916⁰	वीडियों क्लिप में दिए गये geo-cordinates प्रतिवादी संख्या 9 के पक्ष में स्वीकृत अनुज्ञा क्षेत्र के गाटा संख्या 1/2 क्षेत्रफल 30.7646 के बाहर लगभग 117 मीटर की दूरी का है। किन्तु वीडियों में प्रदर्शित खनन कार्य प्रतिवादी संख्या 9 के पक्ष में स्वीकृत खनन क्षेत्र का है। अंकित जियो कॉर्डिनेट के आस-पास कोई अवैध खनन/परिवहन किया जाना नहीं पाया गया।
6	24-03-2026	28.997417⁰	77.201917⁰	वीडियों क्लिप में दिए गये geo-cordinates प्रतिवादी संख्या 9 के पक्ष में स्वीकृत अनुज्ञा क्षेत्र के गाटा संख्या 1/2 क्षेत्रफल 30.7646 के बाहर लगभग 117 मीटर की दूरी का है। किन्तु वीडियों में प्रदर्शित खनन कार्य प्रतिवादी संख्या 9 के पक्ष में स्वीकृत खनन क्षेत्र का है। अंकित जियो कॉर्डिनेट के आस-पास कोई अवैध खनन/परिवहन किया जाना नहीं पाया गया।
7	31-03-2026	29.003352⁰	77.202013⁰	वीडियों क्लिप में दिए गये geo-cordinates प्रतिवादी संख्या 9 के पक्ष में स्वीकृत अनुज्ञा क्षेत्र के गाटा संख्या 1/2 क्षेत्रफल 30.7646 के बाहर लगभग 488 मीटर की दूरी का है। किन्तु वीडियों में प्रदर्शित खनन कार्य प्रतिवादी संख्या 9 के पक्ष में स्वीकृत खनन क्षेत्र का है। अंकित जियो कॉर्डिनेट के आस-पास कोई अवैध खनन/परिवहन किया जाना नहीं पाया गया।
8	31-03-2026	29.003032⁰	77.201112⁰	वीडियों क्लिप में दिए गये geo-cordinates प्रतिवादी संख्या 9 के पक्ष में स्वीकृत अनुज्ञा क्षेत्र के गाटा संख्या 1/2 क्षेत्रफल 30.7646 के बाहर लगभग 394 मीटर की दूरी का है। किन्तु वीडियों में प्रदर्शित खनन कार्य प्रतिवादी संख्या 9 के पक्ष में स्वीकृत खनन क्षेत्र का है। अंकित जियो कॉर्डिनेट के आस-पास कोई अवैध खनन/परिवहन किया जाना नहीं पाया गया।
9	31-03-2026	29.003352⁰	77.202013⁰	वीडियों क्लिप में दिए गये geo-cordinates प्रतिवादी संख्या 9 के पक्ष में स्वीकृत अनुज्ञा क्षेत्र के गाटा संख्या 1/2 क्षेत्रफल 30.7646 के बाहर लगभग 488 मीटर की दूरी का है। किन्तु वीडियों में प्रदर्शित खनन कार्य प्रतिवादी संख्या 9 के पक्ष में स्वीकृत खनन क्षेत्र का है। अंकित जियो कॉर्डिनेट के आस-पास कोई अवैध खनन/परिवहन किया जाना नहीं पाया गया।
10	31-03-2026	29.003035⁰	77.201108⁰	वीडियों क्लिप में दिए गये geo-cordinates प्रतिवादी संख्या 9 के पक्ष में स्वीकृत अनुज्ञा क्षेत्र के गाटा संख्या 1/2 क्षेत्रफल 30.7646 के बाहर लगभग 384 मीटर की दूरी का है। किन्तु वीडियों में प्रदर्शित खनन कार्य प्रतिवादी संख्या 9 के पक्ष में स्वीकृत खनन क्षेत्र का है। अंकित जियो कॉर्डिनेट के आस-पास कोई अवैध खनन/परिवहन किया जाना नहीं पाया गया।

उपरोक्त अंकित जियो कॉर्डिनेट को Google Earth Pro पर स्वीकृत खनन क्षेत्र के साथ प्रदर्शित किया गया है तथा सन्दर्भ हेतु प्रति संलग्न है।

4. ग्राम नैथला खादर के गाटा संख्या 1/2 क्षेत्रफल 30.7646 एकड़ में दिनांक 06.02.2026 से 06 माह हेतु मै0 गौरव बिल्डर्स, प्रो0 श्री राजीव सिंह पुत्र श्री कालूराम निवासी बदरखा तहसील बडौत जिला बागपत के पक्ष में स्वीकृत है, जिसे कार्यालय जिलाधिकारी, बागपत के पत्र संख्या 21/ख0अनु0–बागपत/2026–27 दिनांक 20.05.2026 के स्वीकृत स्वीकृत क्षेत्र में उपखनिज बालू का खनन/परिवहन अग्रिम आदेशों तक पूर्णरूप से प्रतिबन्धित किया गया है।

5. अनुज्ञाधारक द्वारा संचालित अवधि के दौरान जलस्तर के नीचे से उपखनिज को उठाने पर उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के नियम 41 (ज) जलस्तर से नीचे उठाने उल्लंघन पाये जाने पर उक्त नियमावली के नियम 60 (4) के अन्तर्गत जलधारा में खनन करने पर निम्नानुसार कार्यवाही की गयी है:–

   a. दिनांक 24.03.2026 को क्षेत्रीय लेखपाल सर्वे, ग्राम नैथला खादर, क्षेत्रीय कानूनगो, सर्वे ग्राम नैथला, ज्येष्ठ खनन अधिकारी/प्रवर्तन अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय भूतत्व एवं खनिकर्म, गाजियाबाद व नायब तहसीलदार, सर्वे बागपत द्वारा ग्राम नैथला खादर में स्वीकृत खनन अनुज्ञा क्षेत्र की जॉच की गयी थी, जिनकी आख्या के अनुसार अनुज्ञाधारक द्वारा दिनांक 24.03.2026 को स्वीकृत मात्रा 186750 घनमीटर के सापेक्ष 43410 घनमीटर उपखनिज का उठान/खनन एवं परिवहन किया जा चुका था तथा जॉच आख्या में पाया गया कि अनुज्ञाधारक द्वारा दिनांक 06.03.2026, 08.03.2026 व 12.03.2026 को रात्रि में उपखनिज बालू का उठान एवं लोडिंग का प्रयास किया गया तथा कुछ स्थानों पर जल स्तर के नीचे से उपखनिज का उठान किये जाने के चिन्ह पाये गये। जिसके सम्बन्ध में उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के नियम 60(2) के अन्तर्गत 3 चुक पर कुल 1,50,000–00 व नियम 60(4) के अन्तर्गत 500000–00 रूपये जमा कराये जाने हेतु कार्यालय के पत्र संख्या 2087 दिनांक 01.04.2026 को नोटिस निर्गत किया गया। निर्गत नोटिस में निहित धनराशि को अनुज्ञाधारक द्वारा चालान संख्या AKV260014800 दिनांक 20.04.2026 के द्वारा धनराशि अंकन 5,00,000/–रूपये, AKV260014792 दिनांक 20.04.2026 के द्वारा धनराशि अंकन 50,000/–रूपये, AKV260014794 दिनांक 20.04.2026 के द्वारा धनराशि अंकन 50,000/–रूपये तथा AKV260014797 दिनांक 20.04.2026 के द्वारा धनराशि अंकन 50,000/–रूपये इस प्रकार कुल धनराशि अंकन 6,50,000–00 रूपये जमा कराकर चालान की प्रति प्रस्तुत की गयी है।

   b. उपजिलाधिकारी बागपत की आख्या दिनांक 30.03.2026 में पाया गया कि ग्राम नैथला खादर में स्वीकृत खनन अनुज्ञा के अनुज्ञाधारक द्वारा स्वीकृत क्षेत्र से जलस्तर के नीचे से उपखनिज बालू का उठान पाये जाने के कारण उ0प्र0 खनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के नियम 42 (ज) के उल्लंघन पर उक्त नियमावली के नियम 60 (4) के अन्तर्गत 5,00,000–00 की शास्ति जमा करने हेतु कार्यालय पत्र संख्या 2041 दिनांक 15.04.2026 के द्वारा नोटिस निर्गत किया गया है। जिसे अनुज्ञाधारक द्वारा चालान संख्या AKV260018926 दिनांक 22.05.2026 के द्वारा जमा कर दिया गया है।

   c. क्षेत्रीय लेखपाल सर्वे, ग्राम नैथला खादर, क्षेत्रीय कानूनगो सर्वे, ग्राम नैथला खादर व नायब तहसीलदार (सर्वे), बागपत के द्वारा ग्राम नैथला खादर के गाटा संख्या 1/2 क्षेत्रफल 30.7646 एकड की दिनांक 21.04.2026 को संयुक्त रूप से जॉच कर जॉच आख्या उपलब्ध करायी गयी है। जॉच में पाया गया कि स्वीकृत क्षेत्र में एक स्थान पर जलस्तर के नीचे से उपखनिज बालू का खनन किया जा रहा था जिसे तत्काल रूकवा दिया गया तथा मौके पर ही उपस्थित अनुज्ञाधारक के प्रो0 श्री राजीव सिंह को निर्देशित किया गया कि भविष्य में जलस्तर से उपखनिज बालू का उठान अथवा खनन न किया जायें। चूँकि मौके पर मशीन द्वारा जलस्तर के नीचे से उपखनिज का उठान किया गया है जोकि उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के नियम 42 (ज) का स्पष्ट उल्लंघन है जिस पर उक्त नियमावली के नियम 60 (4) के अन्तर्गत 5,00,000/– की शास्ति की देयता अनुज्ञाधारक पर बनती है। देयता के संबंध में कार्यालय के पत्र संख्या 2178 दिनांक 30.04.2026 के द्वारा नोटिस निर्गत किया गया। अनुज्ञाधारक द्वारा नोटिस में निहित धनराशि को चालान संख्या AKV260018676 दिनांक 20.05.2026 में जमा धनराशि 5,89,400–00 में निहित है।

d. क्षेत्रीय लेखपाल सर्वे, ग्राम नैथला खादर, क्षेत्रीय कानूनगो सर्वे, ग्राम नैथला खादर, नायब तहसीलदार (सर्वे), बागपत व अवर अभियन्ता, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, मेरठ के द्वारा ग्राम नैथला खादर के गाटा संख्या 1/2 क्षेत्रफल 30.7646 एकड की दिनांक 26.04.2026 को संयुक्त रूप से जॉच कर जॉच आख्या उपलब्ध करायी गयी है। उनके द्वारा उपलब्ध करायी गयी जॉच आख्या में उल्लिखित किया गया है कि ग्राम नैथला खादर के गाटा संख्या 1/2 क्षेत्रफल 30.7646 एकड़ में दिनांक 06.02.2026 से 06 माह हेतु मै0 गौरव बिल्डर्स, प्रो0 श्री राजीव सिंह पुत्र श्री कालूराम निवासी बदरखा तहसील बडौत जिला बागपत के पक्ष में उप खनिज बालू का खनन अनुज्ञा शर्तो के अधीन स्वीकृत है। जॉच के समय पाया गया कि अनुज्ञाधारक स्वीकृत क्षेत्र में जलस्तर के नीचे से एक्सकावेटर (जे0सी0बी0) से उपखनिज का उठान एवं लोडिंग किया जाना पाया गया जोकि उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के नियम 41 (ज) का उल्लंघन है जिस पर नियमावली के नियम 60 (4) के अन्तर्गत 5,00,000/– की शास्ति की देयता अनुज्ञाधारक पर बनती है। जिस पर कार्यालय के पत्र संख्या 2194 दिनांक 05.05.2026 के द्वारा नोटिस निर्गत किया गया। नोटिस में निहित धनराशि को अनुज्ञाधारक द्वारा चालान संख्या AKV260018666 दिनांक 20.05.2026 में जमा धनराशि 8,56,000–00 में सम्मिलित है।

इस प्रकार जनपद स्तर पर गठित टास्कफोर्स द्वारा जॉच के समय 04 बार अनुज्ञाधारक द्वारा स्वीकृत क्षेत्र में जलस्तर के नीचे से उपखनिज बालू का उठान/खनन पाये जाने पर उ0प्र0 उपखनिज परिहार नियमावली, 2021 के नियम 60 (4) के अन्दर शास्ति की कार्यवाही की गयी है।

जॉच आख्या सादर प्रेषित है।

संलग्नकः– यथोपरि।

Sachin Kumar 22/05/026
क्षेत्रीय लेखपाल,
ग्राम नैथला खादर।

22/5/26
क्षेत्रीय कानूनगो (सर्वे)
ग्राम नैथला खादर।

22/05/2026
सर्वेक्षक,
क्षेत्रीय कार्यालय, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग,
गाजियाबाद।

22.05.26
क्षेत्रीय वनाधिकारी,
कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी,
बागपत।

22/05/26.
अवर अभियन्ता,
क्षेत्रीय कार्यालय प्रदूषण बोर्ड,
बागपत।

22/05/2026
सहायक अभियन्ता,
सिंचाई विभाग, सिंचाई खण्ड,
बडौत।

22/5/26
उपजिलाधिकारी,
बागपत।

POINT No. — 01 to 10 → COMPLAINANT VIDEO CLIP CO-ORDINATES
POINT No. — A, B, C, D, E, F → NATHLA KHADAR MINING SITE PILLARS.

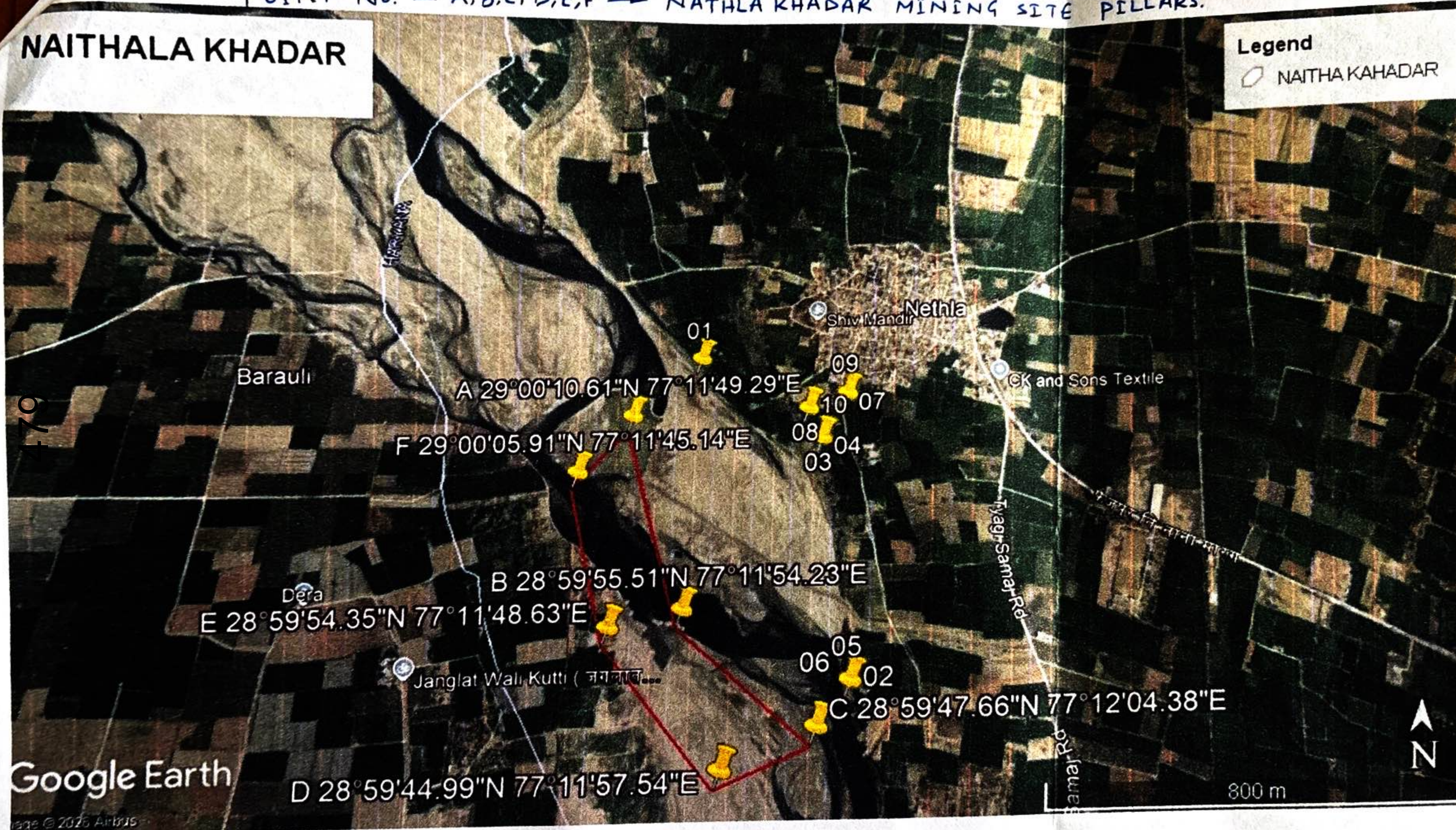

J.E, UPPCB.